तत्काल / समयबद्ध
शीर्षवरीयता

प्रेषक,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
   गढवाल मण्डल पौडी / कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

पत्रांक / सेवायें–2 / 6260-75 / विजिटिंग शिक्षक / 2015–16 दिनांक 01 ~~मई~~ जून, 2015

विषयः प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–151 / XXIV–नवसृजित / 2015–07(2) / 14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग– नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–307 / XXIV–नवसृजित / 2015–07 (02) / 14 दिनांक 08 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–389 / XXIV–नवसृजित / 2015–07 (02) / 14 दिनांक 27 मई, 2015 के क्रम में विकासखण्ड स्तर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों पर यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण छात्रहित / जनहित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है। अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि:–

1. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था अल्पकालीन एवं नितान्त अस्थाई व्यवस्था है। वर्तमान में संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों में से आयोग / चयनकर्ता संस्था को भेजे गये अधियाचन को घटाते हुए अवशेष संख्या में सीधी भर्ती के रिक्त पदों तथा अल्पकालीन अवधि यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश आदि के फलस्वरूप भरे जाने हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का निर्धारित सीमा के अन्तर्गत एक पूल गठित किया जाना है। जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जनपद के अन्तर्गत विकासखण्डवार, विद्यालयवार, विषयवार पद चिन्हित करेंगे।
2. प्रवक्ता संवर्ग के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा स0अ0एल0टी0 के सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक, मा0शि0 कार्यालय द्वारा सीधी भर्ती के अवशेष पदों के चिन्हांकन की सीमा के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को यथावश्यक निर्देश दिए जायेंगे।
3. वर्तमान में स्थानान्तरण प्रक्रिया गतिमान है। अतः विद्यालयों में इस अल्पकालीन अवधि में पठन–पाठन प्रभावित न हो के दृष्टिगत मुख्य शिक्षा अधिकारी विकासखण्डवार, पद अंकित करते हुए विजिटिंग शिक्षकों हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। विजिटिंग शिक्षकों हेतु पदों की संख्या का अवधारण स्थानान्तरण के उपरान्त किया जायेगा।

4. ब्लाक में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण निर्धारित किया जायेगा। विकासखण्ड स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में जनपद स्तर से आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

5. सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम संशोधन–2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता सवंर्ग) नियमावली–2008 के प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों, से स0अ0एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

6. हाईस्कूल/इण्टर स्तर की परीक्षा की मान्यता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत परिषद द्वारा बनाये गये विनियम, प्रशिक्षण यथा एल0टी0 बी0एड0 की मान्यता एन0सी0टी0ई0 की वैबसाइड तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों की मान्यता सम्बन्धी विवरण यू0जी0सी0 की वैबसाइड पर देखा जा सकता है।

7. संगत सेवा नियमावलियों में बी0एड0/एल0टी0 के समकक्ष प्रशिक्षण के मान्य होने की व्यवस्था नहीं है।

8. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

9. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सेवा नियमावली एवं उक्तांकित शासनसादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

10. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

11. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तलिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) **9" X12"** के लिफाफे में रखकर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। इस सम्बन्ध में विज्ञापन में सम्बन्धित विकासखण्ड का पता एवं विषयों के नाम जिसमें विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है तथा शाखा महिला/पुरूष स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

12. आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु एक माह का समय दिया जाय।

13. महिला शाखा में मात्र महिला अभ्यर्थी एवं सामान्य शाखा में पुरूष/महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

14. अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत विकास खण्ड हेतु ही आवेदन किया जायेगा।

15. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर ब्लॉक स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर चयनित विजिटिंग शिक्षकों का विषयवार एक पूल प्रस्तावित किया जायेगा, जो जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमोदित होगा।

16. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।

17. गठित पूल से चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय विशेष में अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु नितान्त अस्थाई व्यवस्था के रूप में शासनादेश में विहित प्राविधानों के अनुसार एक शैक्षिक सत्र से न्यून अवधि, जैसी भी स्थिति हो, भेजा जायेगा तथा नियमित अध्यापक के विद्यालय में वापस आने/उपस्थित होने पर ऐसे अभ्यर्थी पूल में वापस प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। पुनः आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित प्राविधानानुसार उन्हें अन्यत्र विद्यालय में भेजा जा सकता है।

18. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित् अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अनुमति से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय/ विकासखण्ड हेतु गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।

19. उक्त व्यवस्था नितान्त् कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार का अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

कृपया उक्तानसुसार शासनादेश में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु उक्तांकित शासनादेश संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

संलग्नः—**यथोपरि।**

भवदीय

(आर०के०कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 संवर्ग में अल्पकालीन शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज की नवीनतम स्वप्रमाणित फ़ोटो चस्पा करें

1. विज्ञापन संख्या–......................................
2. आवेदित विकास खण्ड का नाम .... जनपद ....
3. आवेदित विषय का नाम :.. शाखा–महिला / सामान्य..........................
4. अभ्यर्थी का नाम :.. लिंगः महिला / पुरूष ....
5. पिता / पति का नाम : ....
6. जन्मतिथि : (अंको में)..

   (शब्दों में)...
7. **दिनांक 01–जुलाई, 2014** को आयु : वर्ष ....माह.....................दिन.................
8. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक ....
   (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. गृह जनपद : ....
10. पत्र व्यवहार का पता : ....

    ....

    ....
11. स्थाई पता : ....

    ....

    ....
12. सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत रहने का साक्ष्य / प्रमाण ....
    (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)
13. जाति (अनु0जाति, अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)..
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. फोन नं0 .... मोबाईल नं0 : ....
15. शैक्षिक योग्यता :–(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

क्रं0 सं0	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	हाईस्कूल					
2	इण्टरमीडिएट					

3	स्नातक– प्रथम वर्ष						
	–द्वितीय वर्ष						
	–तृतीय वर्ष						
	योग :–						
4	टी0ई0टी0–II						
5	प्रशिक्षण (बी0एड0 / एल0टी0)	लिखित					
		क्रियात्मक					

घोषणा

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....
.......................घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा स0अ0एल0टी0 पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्गत समस्त शासनादेश ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य हैं।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है ।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता / पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।

दिनांक :.......................................

संलग्नक–...................

हस्ताक्षर–

अभ्यर्थी का पूरा नाम–

पता :–

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज की नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

1. विज्ञापन संख्या–.....................................

2. आवेदित विकास खण्ड का नाम .... जनपद ....

3. आवेदित विषय का नाम :.. शाखा–महिला / सामान्य....................

4. अभ्यर्थी का नाम :... लिंगः महिला / पुरूष ....

5. पिता / पति का नाम : ....

6. जन्मतिथि : (अंको में)..

   (शब्दों में)..

7. **दिनांक 01–जुलाई, 2014** को आयु : वर्ष ....माह.....................दिन.................

8. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक ....
   (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

9. गृह जनपद : ....

10. पत्र व्यवहार का पता : ....

    ....

    ....

11. स्थाई पता : ....

    ....

    ....

12. सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत रहने का साक्ष्य / प्रमाण ....
    (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. जाति (अनु0जाति, अनूसचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)...
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. फोन नं0 .... मोबाईल नं0 : ....

15. शैक्षिक योग्यता :–**(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)**

क्रं0 सं0	परीक्षा का नाम		विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	प्रशिक्षण (बी0एड0 / एल0टी0)	लिखित					
		क्रियात्मक					

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
........................घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा प्रवक्ता पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्गत समस्त शासनादेश ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य हैं।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।

दिनांक :...

संलग्नक–............

हस्ताक्षर–

अभ्यर्थी का पूरा नाम–

पता :–